

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं॰ 203] नई विल्ली, सनिवार, जून 23, 1979/आवाद 2, 1901 No. 203] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1979/ASADHA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सर्क।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

मौबहन और परिवर्शन मंत्राह्म

(परिवहम पक्ष)

नई फिल्ली, 23 जून, 1979

अधिस्चना

सा. का. वि. 397 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनयम, 1908 (1908 का 15) की धारा 34 इवारा प्रदस्त शिक्सयों का प्रयोग करने हुए, काण्डला पत्तन के न्यासियों के बीर्ड के साथ परामर्श करने के बाद, काण्डला पत्तन में प्रयोश करने वाले जहाजों को, जिन्होंने केवल लिंश बजरों का ही लदान या उत्तराई करनी हो, एनल्क्सरा पत्तन सुल्क से छूट देती हैं, बंशार्त कि एसे लिंश वजरों के लदान या उपराई करने थाले मुख्य जहाज द्यारा निधारित दर से पत्तन सुल्क दिया जाना हो।

[फा. सं. पी जी आर-29/79(2)]

विनंश का,मार जीन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Fransport Wing)

New De'hi, the 231d June, 1979

NOTIFICATION

G.S.R. 397(E).—In exercise of the powers conferred by Section 34 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) the Central Government after consulting the Board of Trustees for the Port of Kandla, hereby exempts the vessels entering the Port of Kandla only for discharging or loading LASH barges from payment of port dues subject to the condition that port dues at prescribed rates are paid by the mother thips discharging or loading such LASH barges.

[F. No. PGR-29/79(ii)]

D. K. JAIN, Jt. Secy,